(GI-8 & FMT)

DATE: 30.03.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

DIVISION - A

Answer 1:

1. (A): Ans. b
   (B): Ans. d
   (C): Ans. c
   (D): Ans. a

2 Mark for Each Valid Answer = Total 8 Marks

2. Answer: d
3. Answer: c
4. Answer: b
5. Answer: b
6. Answer: c
7. Answer: c
8. Answer: a
9. Answer: d
10. Answer: c
11. Answer: c
12. Answer: a
13. Answer: d
14. Answer: d
15. Answer: b
16. Answer: b
17. Answer: d
18. Answer: d
19. Answer: c
20. Answer: d
21. Answer: d
22. Answer: c
23. Answer: b

1 Mark for Each Valid Answer = Total 20 Marks

DIVISION - B

Answer 2:

(a) कम्पनी अधिनियमए, 2013 की धारा 13 कम्पनी के सीमानियम में परिवर्तन की विधि को बताती है। चूंकि कम्पनी सीमानियम का पंजीकृत कार्यालय उपनियम मात्र उस राज्य का नाम दर्शाता है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। कम्पनी का पता मात्र मुम्बई से पुर्ण करने पर कम्पनी के सीमानियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, धारा 13 इस केस में लागू नहीं होगी। **2 M**

धारा 12(5) के अनुसार कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक नगर से दूसरे नगर में शिफ्ट हो जाए जो कि एक ही राज्य में स्थित है, इस आशय के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कम्पनी को अनुमति मिलेगी। फिर भी मान लो कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही रजिस्ट्रार हो तो ऐसे परिवर्तन के लिए कम्पनी को रीजनल डायरेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। **3 M**

Answer:

(b) आंतरिक प्रबंधन के सिद्धान्त के लिए अपवाद (रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त की उपयुक्तता):

अनियमितता का ज्ञान : यदि इस ''बाहरी'' व्यक्ति के पास कम्पनी के भीतर अनियमितता का वास्तविक ज्ञान है, तो आंतरिक प्रबन्ध के तहत् लाभ अब उपलब्ध नहीं होगा। वास्तव में, उसे अनियमितता का हिस्सा माना जायेगा। **2 M**

लापरवाही : यदि न्यूनतम प्रयास के साथ, किसी कम्पनी के भीतर अनियमितताओं की खोज की जा सकती है, तो आंतरिक प्रबन्ध के नियम का लाभ लागू नहीं होगा। नियम की सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है जहां परिस्थिति कम्पनी उचित जांच नहीं करती है। **2 M**

जालसाजी : यह नियम लागू नहीं होता है जहॉ कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो नकली निकलता है क्योंकि कुछ भी जालसाजी को मान्य नहीं कर सकता किसी कम्पनी को उसके अधिकारियों द्वारा की गई जालसाजियों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। **1 M**

Answer:

(c) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अनुसार, ऋणदाता तथा मुख्य ऋणी के बीच हुए अनुबन्ध से अथवा ऋणदाता के किसी कार्य अथवा भूल के कारण, मुख्य ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तथा प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा। **2 M**

प्रश्न में दी गई समस्या में B ने लकड़ी की आपूर्ति नहीं की। अतः C अपने दायित्व से मुक्त हो गया। **2 M**

Answer:

(d) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अनुसार, हर कम्पनी को हर वित्तीय वर्ष के लिए खातों और अन्य प्रासंगिकपुस्तकों और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करने और रखने की आवश्यकता होती है, जो कम्पनी के मामलों के बारे सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कम्पनी की शाखा कार्यालय या कार्यालयों यदि कोई ऐसी पुस्तकों को प्रोद्भवन आधार पर रखा जाएगा जोकि लेखा की डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हो। **2 M**

धारा 128(1) के प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि खाते में मौजूद सभी या कोई भी पुस्तक भारत में अन्य जगहों पर रखी जा सकती है जैसा निदेशक मण्डल का फैसला हो और जहाँ ऐसा निर्णय लिया जाता है, कम्पनी, उसके सात दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के समक्ष उस अन्य जगह का पूरा पता देकर लिखित रूप में एक नोटिस के साथ फाइल करेगी। कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार भविष्य में कम्पनी खाते या अन्य प्रासंगिक कागजात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रख सकती है। **2 M**

इसलिए, भारतीय लिमिटेड बोर्ड ने उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके मुंबई में अपनी कॉरपोरेट कार्यालय में अपनी पुस्तकें रखने का अधिकार दिया है। **1 M**

Answer 3:

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 40(6) के अनुसार कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान अथवा अभ्दिान की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति को कमीशन चाहे सशर्त अथवा बिना शर्त एवं जो शर्त कम्पनीज (प्रविवरण एवं प्रतिभूतियों का आवंटन) 2014 में बतायी गयी है। उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कमीशन का भुगतान कर सकती है। ऊपर दिए गए केस के सन्दर्भ में जो शर्त ऊपर दिए गए प्रावधान में लागू होती है, वह इस प्रकार हैः

(a) कम्पनी के अन्तर्नियमों में ऐसे कमीशनका भुगतान अधिकृत होना चाहिए।

(b) कमीशन का भुगतान निर्गमन राशि अथवा लाभों से अथवा दोनों से किया जा सकता है।

(c) चुकता एवं सहमत कमीशन की अधिकतम दर अंशों के सम्बन्ध में–निर्गमन मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा अन्तर्नियमों में निर्धाश्रत दर जो भी कम हो। ऋणपत्रों के सम्बन्ध में निर्गमन मूल्य का 2.5 प्रतिशत अथवा कम्पनी के अन्तर्नियमों में निर्धारित दर जो भी कम हो इस प्रकार अभिगोपन कमीशन अंशों के सम्बन्ध में निर्गमन मूल्य का 5 प्रतिशत और ऋणपत्रों के संबंध में निर्गमन मूल्य का 2.5 प्रतिशत तक सीमित होता है, ऊपर दी गयी कमीशन की दर अधिकतम है। **3 M**

ऊपर दिये गये प्रावधानों को देखते हुए यूनिक बिल्डर लिमिटेड का 2 प्रतिशत से अधिक अभिगोपन कमीशन जो कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुसार है, वैध नहीं है।

कम्पनी अभिगोपन कमीशन फ्लेट के रूप में दे सकती है, कम्पनी अधिनियम एवं नियम दोनों ही भुगतान के तरीके पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं, हालांकि कमीशन का भुगतान निर्गमन राशि अथवा लाभों से ही किया जा सकता है। **2 M**

Answer:

(b) ''दो या अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध के रूप में प्रावधान'' धारा 26, : जहां एक अधिनियम या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, तो अपराधी को या तो या किसी के तहत मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा। उन अधिनियमों, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$2^{1/2}$ M}**

इस प्रकार, श्री राम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 44 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी प्रतिफल के लिए वचन–पत्र पर हस्ताक्षर करता है या विपत्र को स्वीकार करता है या चैक जिस पर धन राशि लिखी गई है, यह तथ्य मूल रूप में नहीं थे या आंशिक रूप से नहीं थे या उसके उपरान्त आंशिक रूप से फेल हो गए वह राशि जो कि एक धारक जिसका सीधा सम्बन्ध हस्ताक्षर करने वाले से है तो उसका अधिकार यह है कि वह उतनी ही राशि को प्राप्त कर सकता है, जिसे आनुपातिक रूप में कम किया गया हो। **2 M**

(व्याख्या–विपत्र बनाने वाला उस विपत्र को स्वीकार करने वाले से नजदीकी सम्बन्ध रखता है। वचन–पत्र, विपत्र या बैंक का जारीकर्ता उसके भुगतान करने वाले तथा उसका अनुमोदन तथा जिसके नाम में अनुमोदन किया गया है का आपस में नजदीकी सम्बन्ध होता है जो अन्य पक्ष उसे विलेख या विपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं वह भी उस विलेख, विपत्र, बैंक के धारक से नजदीकी सम्बन्ध में होते हैं।

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर P, Q से केवल रुपये 7,000 वसूल करने में सफल होता है न कि पूरी राशि यानी रुपये 10,000, क्योंकि Q ने उस विपत्र को केवल रुपये 7,000 के लिए स्वीकार किया था और उसने P से रुपये 3,000 की छूट ली थी। **2 M**

Answer:

(d) जनरल क्लास अधिनियम, 1897 की धारा 3(26) के अनुसार, 'अचल सम्पत्ति' शामिल होगा।

(i) भूमि
(ii) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और
(iii) धरती से जुड़ी चीजें या धरती से जुड़ी किसी भी चीज को स्थायी रूप से बांध दिया गया। **2 M**

उदाहरण के लिए, पेड़ अचल सम्पत्ति है क्योंकि पेड़ों का लाभ भूमि से उत्पन्न होता है और पृथ्वी से जुड़ा होता है, हालांकि लकड़ी अचल सम्पत्ति नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर स्थायी रूप से संलग्न नहीं है। इसी तरह इमारतें अचल सम्पत्ति है। **1 M**

Answer 4:

(a) विभेदात्मक अधिकारों वाले समता अंशों के निर्गमन की शर्तें (Conditions for the Issue of equity shares with differential rights) – कोई अंशों द्वारा सीमित कम्पनी ऐसे विभेदात्मक समता अंशों का निर्गमन नहीं करेगी जिन्हें लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में विभेद प्राप्त हो, जब तक कि उसने निम्नांकित शर्तो की अनुपालन नहीं की है, नामतः

(a) कम्पनी के अन्तर्नियम, कम्पनी विभेदात्मक अधिकार वाले समता अंशों के निर्गमन को अधिकृत करते है,
(b) ऐसा निर्गमन अंशधारियों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव द्वारा अधिकृत हुआ है। बशर्ते कि कम्पनी अंश मान्य स्कन्ध विपणि में सूचीकृत है, ऐसे अंशों का निर्गमन अंशधारियों द्वारा पोस्टल बैलट द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

[1] प्राईवेट कम्पनी के मामले में धारा 43 लागू नहीं होगी जहाँ प्राईवेट कम्पनी का पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम ऐसा बताता है–अधिसूचना दिनाँक 5 जून, 2015.

निर्दिष्ट आईएफएससी सामाजिक कम्पनी के मामले में, धारा 43 निर्दिष्ट आईएफएससी समाजिक कम्पनी पर लागू नहीं होगी जहाँ ऐसी कम्पनी का पार्षद सीमानियम और पार्षद अन्तर्नियम इसके लिए प्रदान करता है। अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2017.

(c) विभेदात्मक अधिकार वाले अंशों की मात्रा, निर्गमन पश्चात् चुकता अंश पूँजी की मात्रा के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिसमें किसी भी समय निर्गमित विभेदात्मक अधिकार वाले अंशों का निर्गमन शामिल होगा।

1 Mark for each valid point (Max 6 Marks

(d) कम्पनी का पिछले तीन वर्षो से विभाजन योग्य लाभ का ट्रेक रिकॉर्ड रहा हो,
(e) कम्पनी ने जिस वित्त वर्ष में ऐसे अंशों के निर्गमन का निर्णय लिया है उससे तुरन्त पिछले तीन वर्षो में कम्पनी ने वित्तीय विवरणों एवं वार्षिक विवरणियों की फाइलिंग में कोई त्रुटि नहीं की हो,
(f) कम्पनी ने घोषित लाभांश के भुगतान, परिपक्व जमाओं के पुनर्भुगतान अथवा शोधन के लिए देय पूर्वाधिकार अंश अथवा ऋणपत्रों के शोधन अथिवा ऐसी जमाओं, ऋणपत्रों पर ब्याज अथवा लाभांश भुगतान में त्रुटि नहीं की है,
(g) कम्पनी ने पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के भुगतान अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों अथवा अनुसूचित बैंकों से लिए ऋणों की देय राशियों और उन पर देय ब्याज के भुगतान अथवा कर्मचारियों से संबंधित किसी प्राधिकरण को वैधानिक भुगतान अथवा केन्द्रीय सरकार को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में राशि जमा कराने में कोई त्रुटि नहीं की है।
बशर्ते कम्पनी वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसे अपराध को सही किया गया था के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति पर विशेषक अधिकारों से पाँच वर्ष की समाप्ति पर विशेषक अधिकारों के साथ समता अंशों को निर्गमन कर सकती है।
(h) कम्पनी को, RBI Act 1934, SEBI Act, 1992, प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956, FEMA, 1999 अथवा अन्य किसी विशेष अधिनियमों जिनके अधीन कम्पनियों को क्षेत्रीय नियामकों द्वारा नियमित किया जाता है के अधीन, पिछले तीन वर्षो में किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल से जुर्माना नहीं हुआ है।

Answer:

(b) प्रश्न में पूछी गई समस्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) के प्रावधानों तथा गैस मीटर कं.लि. बनाम डायाफ्राम एण्ड जनरल लैदर कं.लि. में दिये गये निर्णय पर आधारित है।
धारा 62(1) के अनुसार अंशों द्वारा सीमित तक सार्वजनिक कम्पनी अपने निर्माण के पश्चात् अतिरिक्त अंशों का आवंटन करना चाहती है तो उसके द्वारा ऐसे नये अंशों के निर्गमन का प्रस्ताव वर्तमान अंशधारियों को उन अंशों पर चुकता पूँजी के अनुपात में किया जायेगा। कम्पनी अपने मौजूदा अंशधारकों के वर्ग को नजरअन्दाज नहीं कर सकती है और अपने वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशो के अनुपात में आवंटन किया जायेगा।
मामले के तथ्य के अनुसार कम्पनी के अन्तर्नियमों में व्यवस्था थी कि नए अंश वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तुत किये जाएँगे। कम्पनी ने नये अंश गैस कं. जिसके पास नियंत्रक अंश थे, के अलावा, अभी अंशधारियों को प्रस्तावित किये। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी कं. को ऐसा करने से रोका जा सकता है।
दिये गये प्रश्न में उक्त प्रावधानों तथा निर्णय लागू करने पर SV कं.लि. द्वारा VRS कं.लि. को इस आधार पर कि उसके पास पहले काफी मात्रा में अंश थे, अंश प्रस्तावित न करने का निर्णय वैध नहीं है, क्योंकि यह धारा 62(1) (a) के प्रावधानों के तथा उपर्युक्त विवाद में दिये गये निर्णय के विपरीत है। **4 M**

दूसरे, अंश जारी करने का प्रस्ताव 1 मार्च, 2007 को यानि कम्पनी के निर्णय के 2 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसलिए SV कं.लि. का निदेशक मण्डल VRS कं.लि. को अंश आवंटित करने का निर्णय नहीं कर सकता है। जब तक कि कम्पनी द्वारा साधारण सभा में विशेष संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन न कर दिया गया हो जैसा कि धारा 81(A) के अनुसार आवश्यक है। **2 M**

Answer:

(c) परिभाषाओं में ''अर्थात'' और ''शामिल'' शब्दों की व्याख्या–परिभाषा अनुभाग में किसी शब्द या अभिव्यक्ति की परिभाषा या तो अपने सामान्य अर्थ को सीमित कर सकती है या कथित का व्यापक हो सकता है।
जब एक शब्द अर्थात के लिए परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषा प्रथम दृष्टि में प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण हैं, हमें परिभाषा अनुभाग में दिए गए शब्द के अर्थ को प्रतिबंधित करना चाहिए। **2 M**

लेकिन जहाँ शब्द को 'शामिल' है के लिए परिभाषित किया गया है, वहीं परिभाषा 'प्रथम दृष्टि में'व्यापक है, यहाँ परिभाषित शब्द इसे निर्दिष्ट किए गए अर्थ के लिए प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन व्यापक अर्थ है, जिसमें इसका अर्थ परिभाषा अनुभाग में भी शामिल है। **2 M**

उदाहरण–निदेशक की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(34), – निदेशक अर्थात् एक कंपनी के बोर्ड के लिए नियुक्त निदेशक है। शब्द ''अर्थात्'' व्यापक परिभाषा का सुझाव देता है।
पूर्णकालिक निदेशक की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(94), – पूरे समय के निदेशक में कंपनी के पूरे समय के रोजगार में एक निर्देशक भी शामिल है। शब्द ''शामिल'' विस्तृत परिभाषा का सुझाव देता है। अन्य निदेशकों को पूरे समय के निर्देशक की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। **1 M**

Answer 5:

(a) (1) सुरक्षित निक्षेपों को आमंत्रित कर रही धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी या कोई मात्र कम्पनी परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित नहीं करेगी जब तक कि कम्पनी निक्षेपों की सुरक्षा सृजन के लिए निक्षेपकर्ताओं के लिए एक या एक से अधिक संरक्षक नियुक्त नहीं कर लेती है।
बशर्ते निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक से उनकी नियुक्ति से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी और एक विवरण परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इस प्रभाव के लिए उचित महत्व के साथ की निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक ने कम्पनी को अपनी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है दिखाई देगा। **2 M**

(2) कम्पनी को परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र निर्गमित करने के कम–से–कम सात दिन पहले प्रारूप DPT-2 में निक्षेप न्यास विलेख निष्पादित करना होगा।

(3) न्यासिताएँ की सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में मौजूद किसी कम्पनी सहित कोई भी व्यक्ति निक्षेपकर्ताओं के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि प्रस्तावित न्यासि–

(a) कम्पनी या उसकी होल्डिंग सहायक या सहयोगी कम्पनी का निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी है या कम्पनी में निक्षेपकर्ता है,

(b) कम्पनी या इसकी सहायक या इसकी होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी की ऋणी है, **2 M**

(c) कम्पनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय सम्बन्ध है,

(d) ने निक्षेप या उसकी ब्याज से सुरक्षित प्रमुख ऋणों के संबंध में किसी भी गारंटी प्रबंध में प्रवेश किया है।

(e) उपर्युक्त धारा(a) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित है।

(4) बोर्ड की सभा में मौजूद सभी निर्देशकों की सहमति के अतिरिक्त, परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित होने के बाद और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, निक्षेपकर्ताओं के लिए किसी भी न्यासी को कार्यालय से नहीं निकाला जायेगा। **2 M**
बशर्ते कि यदि कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों के होने की आवयकता है, तो बोर्ड में कम–से–कम एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहेंगे।

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा पेजत३, पंजीयक को शक्तियां प्रदान करने के लिए संतुष्टि प्रदान करती है और उन आरोपों को जारी करती है, जहां कंपनी की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

(i) रजिस्ट्रार किसी भी पंजीकृत प्रभार के संबंध में उसकी संतुष्टि के लिए दिए जा रहे सबूतों पर–

(a) कि जिस ऋण के लिए प्रभार दिया गया था उसका भुगतान या पूरी या आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया है या

(b) उस संपत्ति का हिस्सा या चार्ज किया गया है जो प्रभार से जारी किया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनने के लिए बंद हो गया है, **{4 M}**

– शुल्क के रजिस्टर में पूरे या आंशिक रूप से, या इस तथ्य का एक ज्ञापन दर्ज करें कि संपत्ति का हिस्सा या उपक्रम चार्ज से जारी किया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनना बंद हो गया है, जैसा कि मामला है हो सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

(ii) पंजीयक धारा 81 (1) के तहत रखे गए आरोपों के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तीस दिनों के भीतर प्रभावित पक्षों को सूचित करेगा।
कंपनी (चार्ज का पंजीकरण) नियम, 2014 के अनुसार प्रभार की संतुष्टि के संबंध में–

(1) एक कंपनी पंजीकृत शुल्क से पूर्ण भुगतान या संतुष्टि की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को उसी की सूचना देगी। **{2 M}**

(2) जहां कुलसचिव 82 या 83 के अनुसरण में पूर्ण रूप से प्रभारी संतोष का ज्ञापन दर्ज करता है, वह प्रभार की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Answer:

(c) जहाँ विधियों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम है, निर्माण के लिए सबसे मजबूती से स्थापित नियम हेडडोन के मामले में निर्धारित सिद्धांत है। यह नियम एक अधिनियम का गठन **3 M**

करने में चार मामलों पर विचार करने में सक्षम बनाता है:–

(1) अधिनियम बनाने से पहले कानून क्या था,

(2) क्या अनिष्ट या दोष था जिसके लिए कानून प्रदान नहीं करता था,

(3) अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपाय क्या है, और

(4) उपाय का कारण क्या है,

यह नियम तब निर्देश देता है कि अदालतों को उस विधान को अपनाना चाहिए जो 'अनिष्ट को दबाने और उपाय को आगे बढ़ाएगा'। इसलिए यहाँ तक कि ऐसे मामले में जहाँ भाषा का सामान्य अर्थ विधायिका के पूरे उद्देश्य से कम हो जाता है, शब्द के लिए एक अधिक विस्तारित अर्थ का आरोपण किया जा सकता है, बशर्ते कि वो इसके बारे में काफी संवेदी है। अगर किसी भी कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा है, तो उसका काम उस वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। इस प्रकार कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के मामले में मुख्य उद्देश्य कामगारों को मुआवजे का प्रावधान है, यह माना गया था कि इस अधिनियम को इस तरह से बना होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो, ताकि उसके प्राथमिक प्रावधानों को प्रभावित किया जा सके। **2 M**

Answer 6:

(a) कोरम का आशय सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है जिन्हें सभा को करने के लिए और उस पर व्यवसाय सम्पादित करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार, कोरम सदस्यों की संख्या को दर्शाती है जिनकी उपस्थिति पर कम्पनी की सभा अपने विचार–विमर्श को प्रारम्भ कर सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 सभाओं के लिए कोरम से सम्बन्धित कानून को प्रदान करती है। उपर्युक्त धारा प्रदान करती है कि जहाँ कम्पनी के अन्तर्नियम अधिक संख्या के लिए प्रदान नहीं करती है, तो कोरम सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है।

सार्वजनिक कम्पनी के मामले में–

(i) पाँच सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित यदि सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या सौ से अधिक नहीं है।

(ii) पंद्रह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित यदि सभा की तिथि पर सदस्यों की संख्या सौ से अधिक है लेकिन पाँच हजार तक है।

(iii) तीस सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, यदि सदस्यों की संख्या सभा की तिथि पर पाँच हजार से अधिक है।

कम्पनी की सभा के लिए कोरम होगी। **2 M**

कोरम न होने के परिणामः यदि कम्पनी की सभा को आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट समय से आधे घण्टे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होती है–

(a) सभा आगामी सप्ताह के समान दिन को समान समय और स्थान पर स्थगित हो जायेगी, या

(b) ऐसी अन्य तिथि और ऐसा अन्य समय और स्थान जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है, या

(c) सभा, यदि (धारा 100 के तहत्) मांगकर्ताओं के द्वारा बुलाई गई है, रद्द हो जायेगी । उपर्युक्त मामले में, KMP लिमिटेड कुल 2,750 सदस्यों के साथ सार्वजनिक कम्पनी है, इसलिए वार्षिक सामान्य सभा के लिए मान कोरम बनाने के सम्बन्ध में कम–से–कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। **2 M**

इस प्रकार, सभा स्वयं आगामी सप्ताह में समान दिन, पर समान समय और स्थान पर स्थगित हो जायेगी, यदि कम्पनी की सभा को आयोजित करने के लिए नियुक्त समय के आधे घण्टे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होती है। आगे, निदेशक मण्डल ऐसी अन्य तिथि और ऐसा अन्य समय और स्थान निर्मित कर सकते हैं जैसा कि उन्हें उचित लग सकता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा स्वयं ही सभा के आगामी सप्ताह में समान दिन पर समान दिन पर समान समय और स्थान पर स्थगित होने के लिए प्रदान करता है, जबकि अध्यक्ष को सभा के मामले पर निर्णय लेने के लिए विलम्बित कर दिया। अध्यक्ष के निर्णय की मान्यता को प्रश्न उठता ही नहीं। **3 M**

Answer:

(b) (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 में समय पर लाभांश को बांटने में विफलता की सजा दी जाती है। ऐसी स्थितियों में से एक है जहां शेयरधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में कम्पनी को निर्देश दिए है और उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है और इसके लिए उसे सूचित नहीं किया गया है। **2 M**

दी गई परिस्थितियों में, कम्पनी शेयरधारक श्रीमती शीला के साथ संवाद करने में नाकाम रही है, जो कि लाभांश के भुगतान के संबंध में उसकी दिशा का अनुपालन नहीं करती है इसलिए धारा 127 के तहत् दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगें। $1\frac{1}{2}M$

(ii) धारा 127, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि कोई भी अपराध नहीं किया होगा, जहां कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत ने उत्तराधिकार के बारे में इस बात को हल होने तक भुगतान करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए, कम्पनी और इसके निदेशकों आदि पर कोई देयता नहीं होगी। $2\frac{1}{2}M$

Answer:

(c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 में लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान किए गए है। इस धारा के अनुसारः **2 M**

(i) किसी कम्पनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, आम बैठक में या ऐसे तरीके से कंपनी द्वारा तय किया जाएगा, जिसे कम्पनी आम बैठक में निर्धारित कर सकती है।

(ii) प्रथम लेखा परीक्षक के मामले में, पारिश्रमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। **1 M**

(iii) उपर्युक्त उल्लिखित पारिश्रमिक में, एक लेखा परीक्षक को देय शुल्क के अलावा, कम्पनी की लेखा–परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा किए गए खर्च, यदि कोई हो, तथा उसे प्रदान की गई किसी भी अतिरिक्त सुविधा, को शामिल किया जाएगा। किंतु कम्पनी के अनुरोध पर उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा के लिए उन्हें प्रदान किया गया पारिश्रमिक शामिल नहीं होता है। **1 M**

___***___